



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072026-274590
CG-DL-E-17072026-274590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3771]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948

No. 3771]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

का.आ. 3935(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 47 के खंड (vii)एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('NPCIL') (PAN:AAACN3154F), जो सार्वजनिक क्षेत्र की हस्तांतरणकर्ता कंपनी है, से सार्वजनिक क्षेत्र की हस्तांतरिती कंपनी अनुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड ('अश्विनी') (PAN AAJCA9421F)) को पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण को अधिसूचित करती है: उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 15 अक्टूबर, 2025 को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का हस्तांतरण किया जा रहा है।

2. यह अधिसूचना हस्तांतरण के वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 91/2026-सीबीडीटी/फा. सं. 225/139/2025-आईटीए.II]

डॉ. इंदु बाला, उप सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव (हस्तांतरण के वित्तीय वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2026

S.O. 3935(E).— In exercise of the powers conferred by clause (vii) of section 47 of the Income-tax Act, 1961 read with section 536(2) of the Income-tax Act, 2025, the Central Government hereby notifies the transfer of capital asset from Nuclear Power Corporation of India Limited ('NPCIL') (PAN:AAACN3154F), being transferor public sector company, to Anushakti Vidhyut Nigam Limited ('ASHVINI') (PAN: AAJCA9421F), being transferee public sector company, under the plan approved by the Central Government on 15th day of October, 2025, for the purposes of the said clause.

2. This notification shall apply in relation to the year of transfer, Financial Year 2025-26 (Assessment Year 2026-27).

[Notification No. 91/2026-CBDT/F. No. 225/139/2025-ITA.II]

Dr. INDU BALA, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (from the financial year of transfer) to this notification.